न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 1261/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः– 1261/2026
CNR No. UPHP010043542026

मु०अ०सं०– 856/2024
अर्न्तगत धारा– 318(4), 191(2), 115(2), 352, 351(2), 336(3), 338, 340(2) भा०न्या०सं०।
थाना– हापुड़ नगर, जिला हापुड़।

सोहनलाल पुत्र रामफल सिंह, निवासी बलराज नगर कैथल हरियाणा।

––बनाम––

सरकार।

दिनांकः– 09.06.2026

अभियुक्त सोहनलाल पुत्र रामफल सिंह की ओर से उक्त केस में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा०ना०सु०सं० प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह है, कोई गुनाह नहीं किया है। उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन एवं झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई बैनामा नहीं किया है, वादी ने पुलिस से साठ गांठ करके उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया है। उक्त घटना दिनांक 04.01.2024 व 08.12.2024 की बताई है तथा एफ०आई०आर० दिनांक 25.12.2024 को हुई है तथा उक्त एफ०आई०आर० करीब 11 माह की देरी से लिखाई है तथा देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्ज नहीं है। प्रथम सूचना में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थी/वादी से कोई लेन–देन नहीं हुआ तथा प्रार्थी/वादी से कोई प्रतिफल स्वीकार नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमे में दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मोहल्ले की पार्टी बाजी के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो मौके से पकड़ा गया है और न ही नाजायज वस्तु बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पब्लिक का साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी का नाम लक्ष्मी उक्त मुकदमे में होने की वजह से मुझे उक्त मुकमदे में झूठा फंसाया दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई भी छल–कपट धोखधड़ी, कूटरचित व कोई भी षडयन्त्र नहीं किया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टियान अपराध साबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त के भागने एवं सबूत पक्ष को तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि हेतु जमानत देने को तैयार है।"

इसके विपरीत विद्वान विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "प्रार्थी काशीनाथ नगर कालौनी गांधी विहार 2 मेरठ रोड हापुड़ थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ का निवासी है। प्रार्थी नवम्बर 2023 में आर्मी से सेवानिवृत्त होकर आया था तथा अपने मकान में निर्माण कार्य करा रहा था तथा अपनी आवश्यकता हेतु प्लाट की तलाश थी तो प्रार्थी के मकान में ठेकेदारी का कार्य कर रहा रोहताश पुत्र शंकरलाल निवासी सुभाषनगर हापुड़ जिला हापुड़ ने प्रार्थी से कहा कि मेरी परिचित अपना प्लाट बेच रही है, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप ले लो। तब उक्त

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.06.11 12:10:01 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

रोहताश ने प्रार्थी को लक्ष्मी देवी पत्नि सोहनलाल निवासी बलराजनगर कैथल हरियाणा से मिलवाया तो उन्होंने बताया कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही दो प्लाट देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र त्यागी पुत्र दिनेश निवासी म०सं०–396 चमरी हापुड़ थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ से खरीदे हैं, परन्तु पैसों की आवश्यकता होने के कारण अब हम उक्त प्लाटों को बेचना चाहते हैं, तब प्रार्थी को लक्ष्मी ने देवेन्द्र त्यागी से मिलवाया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने खेतों में प्लाटिंग की है, जिसमें से उक्त प्लाट मैंने इन्हें बेच रखे है। तब उक्त देवेन्द्र त्यागी, लक्ष्मी प्रार्थी को लेकर दिल्ली रोड पर स्थित डी०ए०वी० स्कूल के पास लेकर गये तथा वहाँ पड़ी खाली जमीन को देखकर बताया कि उक्त प्लाट यहाँ पर है। प्रार्थी को उक्त प्लाट पसन्द आ गये। तब प्रार्थी ने उक्त लोगों से उक्त प्लाट का बैनामा मांगा तो इन्होंने प्रार्थी को बही सं०–1 जिल्द संख्या 7831 के पृष्ठ 185 से 210 क्रमांक 210 दिनांकित 04.01.2024 प्रार्थी को दिखाया तो प्रार्थी ने इनकी बातों पर विश्वास करके उक्त प्लाट का सौदा कर लिया तथा दिनाक 27.01.2024 को उक्त प्लाट का बैनामा अपने हक में करा लिया, परन्तु उसके कुछ दिन बाद उक्त लक्ष्मी पुनः प्रार्थी से मिली तथा कहा कि मुझे अपना दूसरा प्लाट भी बेचना है, अगर आपको लेना है तो आप ले लो, आपके दोनों प्लाट बराबर–2 हो जायेंगे। तब लक्ष्मी की बातों पर विश्वास करते हुए दूसरे प्लाट का बैनामा भी अपने हक में में करा लिया, जो बही सं०–1 जिल्द संख्या 13674 के पृष्ठ 377 से 402 तक क्रमांक 156 पर दर्ज था। तब प्रार्थी ने उक्त प्लाट का बैनामा अपनी पत्नी श्रीमती रेखा यादव के हक में दिनाक 14.02.2024 में करा लिया। जिसके उपरान्त लक्ष्मी व देवेन्द्र त्यागी करीब 6 माह बाद अपने साथ निशान्त कुमार नाम के लड़के को लेकर आये तथा लक्ष्मी ने कहा कि यह मेरे भाई हैं, अगर आप चाहें तो उक्त कालौनी में ही इनका प्लाट है तथा यह अपने प्लाट को बेच रहे है, अगर आप चाहे तो उस प्लाट को ले लें, आपके सारे प्लाट आस पास हो जायेंगे। प्रार्थी ने पुनः मौके पर जाकर देखा तो उक्त लोगों ने प्रार्थी द्वारा पूर्व में लिए गये प्लाटों से एक प्लाट छोड़कर दूसरा प्लाट दिखाया और कहा कि यही प्लाट है तथा उक्त प्लाट का बैनामा भी प्रार्थी को दिखाया, जिसका वही सं०–1 जिल्द संख्या 14016 पृष्ठ 293 से 318 तक क्रमांक 6064 दिखाया, जिसे देखकर प्रार्थी ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्लाट का सौदा भी उक्त लोगों से उक्त प्लाट का बैनामा अपनी बेटी काजल यादव के हक में करा दिया। कुछ समय बाद प्रार्थी जब अपने उक प्लाटों पर गया तो प्रार्थी ने वहाँ नींव खुदवानी चाही तो वहाँ पर आस पास के लोग आ गये तथा उन्होंने कहा कि यह जगह तो हमारी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो प्रार्थी ने कहा कि यह प्लाट तो मैंने खरीद रखे हैं, जिनके बैनामा मेरे पास हैं तो उक्त लोगों ने कहा कि यह जमीन हमारी है तथा हमने यह जमीन किसी को भी नहीं बेची है। तब प्रार्थी ने उक्त लोगों को बैनामे भी दिखाये तो उन्होंने कहा कि यह खसरा नम्बर 506 नहीं है, खसरा नम्बर 506 तो दूसरी तरफ व अलग है। तब प्रार्थी खसरा नम्बर 506 पर पहुंचा तो वहाँ पर पहले से ही मकान बने हुए हैं, तब प्रार्थी ने उक्त लक्ष्मी, देवेन्द्र, निशान्त व रोहताश से सम्पर्क किया तया उनसे अपने साथ की गयी धोखाधड़ी के बारे में कहा तो इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा कहा कि हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे तथा उक्त बैनामों को कैन्सिल करा लेंगे, परन्तु उसके उपरान्त भी इन लोगों द्वारा प्रार्थी के न तो पैसे दिये और न ही बैनामा कैन्सिल कराये। दिनांक 08.12.2024 को प्रार्थी ने इन लोगों से मिलने के लिए कहा तो इन्होंने प्रार्थी को ग्राम चमरी में बुलाया, जहाँ पर देवेन्द्र, लक्ष्मी, निशान्त, रोहताश तथा 5–6 अज्ञात लोग भी तथा उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के वहाँ पहुंचते ही प्रार्थी के साथ गाली गलौज की जाने लगी तथा कहा कि साले हमारा तो यही काम है, हम ऐसे ही लोगों के साथ धोखाधड़ी करके जमीन दे देते हैं तथा पैसे हड़प लेते हैं, ना तो हम तेरे पैसे देंगे। यदि तूने कहीं कार्यवाही की तो तुझे जान से मार देगें। जब प्रार्थी ने इनका विरोध किया तो प्रार्थी के साथ लात घूसों से मारपीट की तथा देवेन्द्र ने अपनी अंटी में से तमंचा निकाल तान दिया और धमकी दी कि यदि आज के बाद अपने पैसों का तकादा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रार्थी जैसे तैसे बचा। उक्त लोगों ने प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करके अंकन 21 लाख रुपये हड़प लिए हैं तथा प्रार्थी को फर्जी बैनामें करा दिये हैं। प्रार्थी सेना से सेवानिवृत्त व्यक्ति है तथा प्रार्थी की जीवन भर की पूंजी इन लोगों द्वारा हड़प ली गयी है तथा प्रार्थी की जान माल का खतरा भी बना हुआ है।"

मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
(2) आवेदक का पूर्ववत जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या व किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,
या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

गुरुवख्श सिंह सिविया बनाम स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr. L. J. 20 (F. B) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "See 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation– care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against tham and to mock at the logitmate investigation process authotised by law."

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सोहनलाल पर आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके वादी मुकदमा को कोई अन्य जमीन दिखा करके अपनी जमीन खसरा संख्या 506 में प्लाट सं० 24, प्लाट सं० 26 व खसरा सं० 27 का फर्जी बैनामा कराया गया। जानकारी होने पर वादी मुकदमा ने अपने बैनामें के समय दिये गये पैसे वापस मांगे तो पैसे वापिस नहीं किये और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से उसके द्वारा साक्ष्य को तोड़ने एवं गवाहों को प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है। अभियुक्त का कृत्य/अपराध गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण की नियमित जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सोहनलाल पुत्र रामफल सिंह की ओर से मु०अ०सं०– 856/2024, अर्न्तगत धारा– 318(4), 191(2), 115(2), 352, 351(2), 336(3), 338, 340(2) भा०न्या०सं०, थाना– हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः– 09.06.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।